रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 493] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 1980/कार्तिक 5, 1902
No. 493] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 1980/KARTIKA 5, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1980

का० आ० 862(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी में के स्तंभ (1) में वर्णित कागज और लुगदी उद्योग के अनुसूचित उद्योग में लुगदी, कागज, गत्ता और अखबारी कागज से पूर्णतः या अंशतः बने ऐसे माल की श्रेणियां विनिर्दिष्ट करती है जिन पर उत्पाद शुल्क 1 नवम्बर, 1980 से अधिनियम के प्रयोजन

के लिए उप-कर के रूप में ऐसी दरों पर उद्ग्रहीत और संग्रह किया जाएगा जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं ।

सारणी

माल की श्रेणी का वर्णन (1)	उत्पाद शुल्क की दर प्रति टन (2)
लुगदी, कागज, गत्ता, अखबारी-कागज और अन्य मदें, जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की पहली अनुसूची के शीर्ष "24-कागज, लुगदी, जिसमें कागज उत्पाद भी सम्मिलित हैं" के अंतर्गत आती हैं	1/8 प्रतिशत मूल्यानुसार

[फा० सं० 3(101)/79-कागज]
बी० आर० आर० आयंगर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 27th October, 1980

S.O. 862(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby specifies the classes of goods manufactured or produced wholly or in part, of Pulp, Paper, Paper Board and Newsprint in the scheduled industry of Paper and Pulp Industry as mentioned in column (1) of the Table below on which a duty of excise shall be levied and collected as a cess for the purpose of the said Act with effect from the 1st November, 1980 at such rates as are specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Description of class of goods (1)	Rates of duty of excise per tonne (2)
Pulp, Paper, Paper Board, Newsprint and other items falling under the heading "24 Paper, Pulp including paper products". of the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).	1/8 per cent advalorem

[F. No. 3(101)/79-Paper]
B. R. R. IYENGAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980